

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 508
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जीवंत ग्राम कार्यक्रम का कार्यान्वयन

+508. श्री बैजयंत पांडा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2025 की स्थिति के अनुसार जीवंत गांव कार्यक्रम - चरण I और चरण II (वीवीपी-II) के तहत चिह्नित और अनुमोदित सीमावर्ती राज्यों में गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) पूर्ण/अनुमोदित बुनियादी ढांचे और आजीविका परियोजनाओं की संख्या सहित कार्यान्वयन में प्रगति और अब तक सामुदायिक भागीदारी की राज्य-वार उपलब्धियां कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रभाव आकलन किया है कि वीवीपी ने इन सीमावर्ती क्षेत्रों में विपरीत प्रवासन रूझानों, महिला उद्यमिता और युवा नेतृत्व वाले ग्रामीण नवाचार को प्रभावित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास हेतु, 15 फरवरी, 2023 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-I (वीवीपी-I) को स्वीकृति दी है। प्रारंभ में, वीवीपी-I के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए 662 गांवों को चिह्नित किया गया है।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सरकार ने, वीवीपी-I के अंतर्गत पहले से कवर की गयी उत्तरी सीमा के अतिरिक्त, 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित चिह्नित गांवों के व्यापक विकास हेतु, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-II (वीवीपी-II) को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में, 2 अप्रैल, 2025 को स्वीकृति दी है। वीवीपी-II के अंतर्गत, व्यापक विकास के लिए 1954 गांवों को चिह्नित किया गया है।

(ख) : वाईब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-1(वीवीपी-1) के अन्तर्गत 3431.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2558 परियोजनाओं/कार्यों को गृह मंत्रालय द्वारा वीवीपी-1 एवं अन्य मंत्रालय द्वारा अभिसरण के माध्यम से स्वीकृति दी है।

राज्यवार-विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	गृह मंत्रालय द्वारा वीवीपी-1 और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभिसरण के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों/परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2082	2749.74
2.	हिमाचल प्रदेश	133	126.01
3.	लद्दाख (यूटी)	88	95.76
4.	सिक्किम	63	188.9
5.	उत्तराखण्ड	200	270.58

इसके अतिरिक्त , वीवीपी-1 के अंतर्गत, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 8500 से अधिक गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं, जिनमें जागरुकता अभियान, सेवा वितरण शिविर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर, मेले एवं महोत्सव तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित है। वीवीपी-1 के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के नाम	वीवीपी-1 के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों की संख्या (25 जनवरी, 2026 तक)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2966
2.	हिमाचल प्रदेश	1016
3.	लद्दाख (यूटी)	2221
4.	सिक्किम	530
5.	उत्तराखण्ड	1836

(ग) और (घ) : कोई प्रभाव आकलन नहीं किया गया है। तथापि, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कुरुंग कुमे, दिबांग घाटी और शि-योमी के सीमावर्ती जिलों में लोगों के गांवों में लौटने की जानकारी दी है।